न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./75/2022

1. महादेव पुत्र श्री पांचू जाति भाम्बी निवासी बड़गावं तहसील भिनाय

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम　　　　निर्णय दिनांक 05.07.2022

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– गजानन्द सिंह रावत
2. पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा बड़गांव पटवार क्षेत्र बड़गांव भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 806 में दर्ज खसरा नं. 3288/1519 रकबा 0.50 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 है0** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बड़गांव पटवार क्षेत्र बड़गांव भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 806 में दर्ज खसरा नं. 3288/1519 रकबा 0.50 है0 कुल किता 01 कुल रकबा** 0.50 है0 प्रार्थी की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक कनेईकलां को 1000/–(एक हजार रूपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। मौका कमीशनर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को मेरे द्वारा लि[illegible]कर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner